अजनर पुलिस ने तमंचा सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनाँक 29/9/2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शस्त्रो की बरामदगी व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित टीम उ0नि0 राजेश कुमार प्रजापति चौकी प्रभारी धवर्रा मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर मढियन माता मन्दिर के पास बने चबूतरे पर वहद ग्राम रावतपुरा खलसा थाना अजनर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त कमलेश पुत्र हरनारायन सोनकिया उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम रावतपुराखालसा थाना अजनर जनपद महोबा को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.स. 166/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. कमलेश पुत्र हरनारायन सोनकिया उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम रावतपुरा खालसा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. उ.नि. राजेश कुमार प्रजापति (चौकी प्रभारी धवर्रा)
2. का. सन्दीप यादव
3. का. इन्द्रजीत यादव

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कमलेश पुत्र हरनारायन सोनकिया

1. मु.अ.सं. 972/13 धारा 135(2) विद्युत अधिनियम थाना अजनर
2. मु.अ.सं. 110/96 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना अजनर
3. मु.अ.सं. 83/94 धारा 382 भादवि थाना अजनर
4. 166/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया उप-कारागार का औचक निरीक्षण

आज दिनाँक 29.09.2020 को जिलाधिकारी महोबा श्री सत्येन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, जिला जज, सीजेएम सहित कई अधिकारियों द्वारा उप-कारागार महोबा का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान बन्दियों के बैरिक/भोजन आदि व्यवस्थाओ को देखा गया तथा **कोविड-19** के मद्देनजर जेल परिसर की साफ-सफाई रखने व मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमो का पालन करने हेतु जेलर/सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये । इस दौरान जेल के अन्दर कोई भी प्रतिबन्धित वस्तु न जाए, इसका पालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित भी किया गया ।

सीओ सिटी द्वारा कबरई थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरुक

आज दिनाँक 29.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहो की चेकिंग एवं **कोविड-19** के मद्देनजर मास्क चेकिंग अभियान के तहत सीओ सिटी श्री कालू सिंह द्वारा मय कबरई पुलिस बल के साथ कस्बे के मुख्य बाजार/होटल/ढाबा आदि की चेकिंग गई तथा लोगो को कोविड-19 के प्रति जागरुक भी किया गया। इसके साथ ही जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त करके मुख्य बाजार, बस-स्टैण्ड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/ दुकानो की चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान लोगो को **कोविड-19** संक्रमण के बारे में जागरुक भी किया गया। लोगो को घरो से बाहर निकलने पर **मास्क लगाने व 02 गज की दूरी** बनाये रखने की अपील की गई।

कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 11900/-रू0 का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान

आज दिनाँक 29.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमो के उल्लंघन पर समस्त थानो द्वारा कोविड-19 के तहत 110 व्यक्तियों से 11900/-रू0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमो के उल्लंघन पर 73 ई-चालान किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगो को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए घरो में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।